

Final NOC

NOC Application has been approved successfully !!!

Print

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2022/67840/JHS/JHANSI/250/CFO

दिनांक : 05-12-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **C.K.C ACADEMY** पता **19,CIVIL LINES JHANSI,JHANSI** तहसील - **JHANSI** प्लॉट एरिया **8282 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **6120** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **2** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK 1	3	0	11.25 mt.
BLOCK 2	3	0	11.25 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **C.K.C ACADEMY** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **15-12-2022** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SAGAYA NATHAN, ckcacademy01@gmail.com, 8953652892** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **16-12-2022** से **15-12-2025** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **C.K.C ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **C.K.C ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : ACCORDING TO SHASANADESH THE DECISION REGARDING THE AVAILABILITY OF SET BACK WILL BE TAKEN BY THE CONCERNED AUTHORITY AS PER THE EFFECTIVE BUILDING CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT BYE- LAWS AND BUILDING BYE-LAWS. IF ANY MODIFICATION DONE IN BUILDING IN FUTURE PRIOR PERMISSION IS REQUIRED FROM THIS DEPARTMENT IN LINE WITH G.O Sr no. CHHA:PU-8-2022/905 (34)/2016 TC OF DATED 07-01-2022. APPROVAL OF BUILDING BY J.D.A IS REQUIRED. ALL FIRE FIGHTING SYSTEMS MUST BE IN WORKING CONDITION AND FIRE SAFETY AS PER NORMS REMAIN ALL THE TIME AND TRAINED FIRE SAFETY STAFF SHOULD BE ASSIGNED FOR THESE DUTIES.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



निर्गत किये जाने का दिनांक : 16-12-2022

स्थान : JHANSI

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

RAJ KISHOR RAI

0AFB625D4ECF7FFF9213461EF08FC8ACF5EC51FB

16-12-2022

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.